न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 870 सन 2020
अनवान :–

1. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. आत्माराम पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भालवदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
2. मंजु पुत्री रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
3. सावित्री पुत्री रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
4. दुनीराम पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
5. महावीर पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
6. साहबराम पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
7. प्रार्वती पुत्री दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
8. मैना पुत्री दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
9. कलावती पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
10. कृष्णा देवी पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
11. केशरदेवी पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
12. फुलादेवी पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 36/34 की कुल 7.8280हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 245/219 की कुल 3.8965हैक एवं खाता संख्या 84/72 की कुल 4.105हैक एवं खाता संख्या 58/83 की कुल 3.9460हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं रोही मोजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 41/93 की कुल 4.1045हैक रोही मोजा भावलदेसर के खाता संख्या 109/95 की कुल 3.8966हैक एवं खाता संख्या 36/34 की कुल 7.8280हैक में से 1/4 हिस्सा रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 84/72 की कुल 4.1045हैक व खाता संख्या 58/53 की कुल 3.9460हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा बीरबलराम पुत्र भैराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा बीरबलराम पुत्र भैराराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा बीरबलराम पुत्र भैराराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी संख्या 1 की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रतिवादी संख्या 1 ,4 की बहने व वादीगण की बुआ हैं प्रतिवादी संख्या 2 ,3, 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 का वाद भूमि में हक हिस्सा है जिसे अपने बाहभी बटावारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ,4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 4 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बीरबलराम पुत्र भैराराम के देहानत होने के बाद दर्ज हुई है एवं उसके पिता बीरबलराम पुत्र भैराराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 ,4 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ता 12 का पिता/भाई हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1, 4 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2, 3 7 ता 12 जो वादीगण की बहने/बुआ है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 4 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरतारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 36/34 की कुल 7.8280हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 245/219 की कुल 3.8965हैक एवं खाता संख्या 84/72 की कुल 4.105हैक एवं खाता संख्या 58/83 की कुल 3.9460हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं रोही मोजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 41/93 की कुल 4.1045हैक रोही मोजा भावलदेसर के खाता संख्या 109/95 की कुल 3.8966हैक एवं खाता संख्या 36/34 की कुल 7.8280हैक में से 1/4 हिस्सा रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 84/72 की कुल 4.1045हैक व खाता संख्या 58/53 की कुल 3.9460हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि वादी के दादा बीरबलराम पुत्र भैराराम के नाम से राजरव रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा बीरबलराम पुत्र भैराराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा बीरबलराम पुत्र भैराराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,5 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी संख्या 1 की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रतिवादी संख्या 1 ,4 की बहने व वादीगण की बुआ हैं प्रतिवादी संख्या 2 ,3, 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 का वाद भूमि में हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटावारा के अनुसार राजरव रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 36/34 की कुल 7.8280हैक भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 245/219 की कुल 3.8965हैक एवं खाता संख्या 84/72 की कुल 4.105हैक एवं खाता संख्या 58/83 की कुल 3.9460हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं रोही मोजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 41/93 की कुल 4.1045हैक रोही मोजा भावलदेसर के खाता संख्या 109/95 की कुल 3. 8966हैक एवं खाता संख्या 36/34 की कुल 7.8280हैक में से 1/4 हिस्सा रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 84/72 की कुल 4.1045हैक व खाता संख्या 58/53 की कुल 3. 9460हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा बीरबलराम पुत्र भैराराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरासतन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के नम से दर्ज हुई है तथा वादी के दादा बीरबलराम पुत्र भैराराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में से कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,4 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि संयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि अर्जित / खरीद कर परिवार के मुख्यिा के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवाादी संख्या 2, 3 ,7 ता 12 वादी की बहने / बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2, 3 7 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद / अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है। प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,7 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहित में स्टाम्प कायम किया जाना उचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 84 / 72 की कुल 4.1045हैक्‍ भूमि वादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एवं ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 41 / 39 की कुल 4.1045हैक्‍ एवं रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 109 / 95 की कुल 3.8966हैक्‍ भूमि में वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 58 / 83 की कुल 3.3940हैक्‍ भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / – रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

1. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. आत्माराम पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भालवदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
2 मंजु पुत्री रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
3 सावित्री पुत्री रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
4 दुनीराम पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
5 महावीर पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
6 साहबराम पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
7 प्रार्वती पुत्री दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
8 मैना पुत्री दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
9 कलावती पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
10 कृष्णा देवी पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
11 केशरदेवी पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
12 फुलादेवी पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 870 सन 2020 निर्णय दिनांक– 25/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 84/72 की कुल 4.1045हैक भूमि वादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एवं ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 41/39 की कुल 4.1045हैक एवं रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 109/95 की कुल 3.8966हैक भूमि में वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 58/83 की कुल 3.3940हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

1. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 आत्माराम पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भालवदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
2 मंजु पुत्री रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
3 सावित्री पुत्री रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
4 दुनीराम पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
5 महावीर पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
6 साहबराम पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
7 प्रार्वती पुत्री दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
8 मैना पुत्री दुनीराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
9 कलावती पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
10 कृष्णा देवी पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
11 केशरदेवी पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
12 फुलादेवी पुत्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 870 सन 2020 निर्णय दिनांक– 25/11/2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पर्चा डिक्री दिनांक 25.11.2020 में रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 58/83 की कुल 3.3940हैक्ट के स्थान पर 3.946हैक्ट संशोधित किया जाता है शेष पर्चा डिक्री यथावत रहेगी यह पंर्चा डिक्री निर्णय का भाग रहेगी।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner